



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07022026-269911
CG-DL-W-07022026-269911

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 7—फरवरी 13, 2026 (माघ 18, 1947)
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7—FEBRUARY 13, 2026 (MAGHA 18, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं, ...	41	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं, ...	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	79	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं), ...	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश, ...	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	133	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	383
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम, ...	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस, ...	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ...	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट, ...	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं, ...	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं), ...	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस, ...	793
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण, ...	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	41	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	79	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	133	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	383
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	793
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी, 2026

संशोधन

सं. 9-6/2024-यू.3(ए)—दिनांक 03-09 मई, 2025 के भारत के राजपत्र, साप्ताहिक, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 22.04.2025 की समसंख्यक अधिसूचना जिसके द्वारा सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), पूर्वी महानगर बाईपास, पंचसायर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया गया था।

2. और इसके अतिरिक्त जबकि, एसआरएफटीआई के प्रशासनिक मंत्रालय और कुलपति, एसआरएफटीआई ने बताया कि एसआरएफटीआई के ईटानगर परिसर (अरुणाचल प्रदेश) को अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया है, जबकि यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था।

3. और जबकि, मामले को जांच और सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया था। इसके प्रत्युत्तर में, यूजीसी ने दिनांक 17.12.2025 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि फिल्म और टेलीविजन संस्थान, ईटानगर परिसर को एसआरएफटीआई की एक घटक इकाई के रूप में माना जा सकता है।

4. अतः अब, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतद द्वारा यूजीसी की सलाह पर, इस सीमा तक उक्त अधिसूचना में संशोधन करता है कि निम्नलिखित को उसके पैरा 5 में शामिल किया जाएगा:

“सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), पश्चिम बंगाल के ईटानगर परिसर (अरुणाचल प्रदेश) को सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), सम विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल की एक घटक इकाई के रूप में माना जाएगा।”

5. पूर्वोक्त को छोड़कर, दिनांक 22.04.2025 की समसंख्या की अधिसूचना में निहित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित और लागू रहेंगी।

पूर्णन्दु किशोर बनर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 13th January, 2026

Amendment

No. 9-6/2024-U.3(A)—Ministry of Education's Notification of even number dated 22.04.2025 published in the Gazette of India, Weekly, Part-I, Section-1 dated 03-09 May, 2025 whereby Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), Eastern Metropolitan Bypass, Panchasayar, Kolkata, West Bengal was declared as an Institution Deemed to be University under distinct category under Section 3 of the UGC Act, 1956.

2. And further whereas, the administrative Ministry of SRFTI and Vice-Chancellor, SRFTI submitted that Itanagar Campus (Arunachal Pradesh) of SRFTI has not been included in the Notification whereas the same was inspected by the UGC Expert Committee.

3. And whereas, the matter was referred to UGC for examination and advice. In response, UGC, vide its letter dated 17.12.2025, informed that the Film and Television Institute, Itanagar Campus may be considered as a constituent unit of SRFTI.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby amends the said Notification to the extent that the following shall be inserted in paragraph 5 thereof:

"The Itanagar Campus (Arunachal Pradesh) of Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), West Bengal shall be treated as a constituent unit of Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), Deemed to be University, West Bengal."

5. Save as aforesaid, all other terms and conditions contained in the Notification of even number dated 22.04.2025 shall remain unchanged and in force.

PURNENDU KISHORE BANERJEE, Jt. Secy.